भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2150
06.08.2026 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों पर गर्मी के प्रभाव को कम करना

2150. श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक लू, उष्णता-जन्य तनाव, निर्जलीकरण अथवा जलाभाव से संबंधित वन्यजीवों की मृत्यु का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और प्रजाति-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2021 से अब तक अत्यधिक गर्मी की परिस्थितियों के कारण वन्यजीवों और पक्षियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु होने अथवा संकटग्रस्त होने से संबंधित घटनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) अत्यधिक गर्मी की अवधि के दौरान वन्यजीवों के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराने, आवास प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन और लू के प्रभाव को कम करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, जिसमें जंगली जानवरों की मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का संकलन भी शामिल है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अत्यधिक तापमान के कारण जंगली जानवरों की बड़ी संख्या में मृत्यु होने या संकटग्रस्त होने की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) वन्यजीवों और उनके पर्यावासों का प्रबंधन, यथास्थिति, अनुमोदित प्रबंधन योजना, बाघ संरक्षण योजना या कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। इन योजनाओं में जल और पर्यावास प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय भी शामिल हैं। इन प्रयासों को संभव बनाने के लिए, इस मंत्रालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के तहत 'प्रबंधन योजनाओं' और धारा 38V के तहत 'बाघ संरक्षण योजनाओं' को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'वन्यजीव पर्यावास विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' नामक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वन्यजीवों और उनके पर्यावासों पर लू के प्रभावों के प्रबंधन के लिए तैयारियों को बेहतर बनाने और उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक परामर्शिका भी जारी की है।
